



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072022-237537
CG-DL-E-25072022-237537

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3151]
No. 3151]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2022

का.आ. 3312(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 633(अ) तारीख, 14 फरवरी 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के पटियाला जिले में मुख्य एनएच-07 से सनौर को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एनएच-07 पर सनौर जंक्शन पर सर्विस रोड प्रदान करके कि. मी. 54.704 पर मौजूदा साउथरेन पटियाला बाईपास का सुधार। पटियाला बाईपास (एनएच-07) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, द्वारा एनएचडीपी-चतुर्थ चंडीगढ़-बठिंडा इंटर कॉरिडोर रूट (आईसीआर) के तहत पटियाला जिले के जीरकपुर-बठिंडा खंड कि. मी. 54.704 (वीयूपी) पर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिकाअर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 18 फरवरी 2022 "को"दट्रिब्यून इंग्लिश" और " चरडीकला पंजाबी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पंजाब राज्य के पटियाला जिले में पटियाला बाई पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -07 जीरकपुर-बठिंडा खंड के पटियाला बाई पास अनुभाग के कि. मी. 54.704 (वीयूपी) मौजूदा साउथरेन पटियाला बाई पास का सुधार के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि कि संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब			जिले का नाम: पटियाला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पटियाला				
	गांव का नाम: घलोरी (69)				
1	16//24/3Min	निजी	गैर् मुमकिन टोआ	0.0123	किरणजीत कौर पुत्र जगजीत सिंह, बलजीत कौर पुत्र जगजीवन सिंह, बलजीत कौर विधवा जगजीवन सिंह, अमृतवीर सिंह पुत्र जगजीवन सिंह, इस्ता सिंह सवाज पुत्र अमृतवीर सिंह, इनायत सवाज पुत्र अमृतवीर सिंह (16//24/3मिन्)
2	16//25/2Min	निजी	गैर् मुमकिन खतन	0.0645	किरणजीत कौर पुत्र जगजीत सिंह, बलजीत कौर पुत्र जगजीवन सिंह, बलजीत कौर विधवा जगजीवन सिंह, अमृतवीर सिंह पुत्र जगजीवन सिंह, इस्ता सिंह सवाज पुत्र अमृतवीर सिंह, इनायत सवाज पुत्र अमृतवीर सिंह (16//25/2मिन्)
3	31//12/3Min	निजी	एग्रिकल्चर	0.0582	गुरवेंद्र सिंह पुत्र जगत सिंह, कमलजीत कौर बाजवा विधवा जोगेंद्र सिंह और अन्य (31//12/3मिन्)

4	31//19/2Min	निजी	एग्रिकल्चर	0.0759	गुरवेंद्र सिंह पुत्र जगत सिंह, कमलजीत कौर बाजवा विधवा जोगेंद्र सिंह और अन्य (31//19/2मिन्)
5	31//20/1Min	निजी	एग्रिकल्चर	0.0101	गुरवेंद्र सिंह पुत्र जगत सिंह, कमलजीत कौर बाजवा विधवा जोगेंद्र सिंह और अन्य (31//20/1मिन्)
6	31//8/2/2Min	निजी	गैर मुमकिन	0.0045	बलजीत कौर डब्ल्यू/ओ जगजीवन सिंह पुत्र मोगा सिंह (31//8/2/2मिन्)
			कुल	0.2255	

[फा. सं. LA/11013/LACMinutes/2020(computer no. 5369/3D)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st July, 2022

S.O. 3312(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 633 (E) dated 14th february, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of improvement of existing southren Patiala bypass at km 54.704 by providing service road at the Sanour Junction on NH-07 to provide connectivity to sanaur from the main NH-07. The section of Patiala bypass (NH-07) was developed by MoRT&H under NHDP-IV Chandigarh-Bathinda inter corridor route (ICR) in the stretch of land Patiala Bypass at km 54.704 (VUP) Zirakpur-Bathinda Section in the district of PATIALA in the state of PUNJAB, hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Tribune english” and “Charhdikala Punjabi” both dated 18th February, 2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling stretch of land Patiala Bypass at Km. 54.704 (VUP) for improvement of existing southren Patiala bypass at Km. 54. Zirakpur-Bathinda Section in the district of Patiala in the state of PUNJAB.

State: PUNJAB			District: PATIALA		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Patiala				
	Village: Ghalori (69)				
1	16//24/3Min	Private	Gair Mumkin Toa	0.0123	Kiranjeet kaur D/o Jagjit Singh, Baljeet Kaur W/o Jagjiwan Singh, Baljeet Kaur Widow Jagjiwan Singh, Amritvir Singh S/o Jagjiwan Singh, Ista Singh Sawaj D/o Amritvir Singh, Inayat Sawaj D/o Amritvir Singh 16//24/3Min
2	16//25/2Min	Private	Gair Mumkin Khatan	0.0645	Kiranjeet kaur D/o Jagjit Singh, Baljeet Kaur W/o Jagjiwan Singh, Baljeet Kaur Widow Jagjiwan Singh, Amritvir Singh S/o Jagjiwan Singh, Ista Singh Sawaj D/o Amritvir Singh, Inayat Sawaj D/o Amritvir Singh 16//25/2Min
3	31//12/3Min	Private	Agriculture	0.0582	Gurwender Singh S/o Jagat Singh, Kamaljeet kaur Bajwa Widow Jogender Singh & others 31//12/3Min
4	31//19/2Min	Private	Agriculture	0.0759	Gurwender Singh S/o Jagat Singh, Kamaljeet kaur Bajwa Widow Jogender Singh & others 31//19/2Min
5	31//20/1Min	Private	Agriculture	0.0101	Gurwender Singh S/o Jagat Singh, Kamaljeet kaur Bajwa Widow Jogender Singh & others 31//20/1Min
6	31//8/2/2Min	Private	Gair Mumkin	0.0045	Baljeet Kaur W/o Jagjiwan Singh S/o Moga Singh 31//8/2/2Min
			TOTAL	0.2255	

[F. No. LA/11013/LACMinutes/2020(computer no. 5369/3D)]

RAJESH GUPTA, Director